न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/29/2024 वाद

दायर दिनांक 06.03.2024

1. नारायणलाल पिता भैरू लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उनवान

1. नोसर पत्नी पपू जाति जाट आयु वयस्क निवासी हाल रेणकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. पारसी पत्नी रमेश जाति जाणुदा (जाट) आयु वयस्क निवासी हाल जाशमा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
3. बद्री पुत्र हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी हाल देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रतनलाल पिता छगन लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. ललिता देवी पत्नी राधेश्याम जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. सीमा देवी पत्नी रतन लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना —वादी
अधिवक्ता श्री आसिफ इकबाल —प्रतिवादी सं0 1, 4, 5
शेष एकतरफा

—: वाद पत्र अन्तर्गत 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 21.05.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा देवरिया के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1136, 1143, 1144, 1149, 1157, 1158, 1159, 1294/1077, 267, 268, 985, 986, 987 कुल खसरे 14 कुल रकबा 8.7000 हैक्ट0 स्थित है जो रेवेन्यु रेकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज है।

यह कि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जीतमल व ब्रदी पिता हिरा जाति जाट से आराजी नम्बर 844 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा लगानी 1 रूपया 12 पैसा पडत खरीद की जिस पर वादी का कब्जा खरीद के समय से ही चला आ रहा है रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से दिनांक 16/04/88 को खरीद की। आराजी नम्बर 844 मी0 के नये नम्बर 1158 व 1159 है। व पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि दिनांक 01.03.2024 को प्रतिवादीगण को आराजीयात मेरे नाम पर दर्ज कराने के लिए कहा तो इन्कार हो गये जिससे वाद कारण दिनांक 01.03.2024 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है।

यह कि वादपत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है। शान्ति ने अपना हिस्सा राधेश्याम व रतन को बेच दिया जिससे वो खातेदार नहीं है आराजी नम्बर 844 का नामान्तर विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 15.05.1993 को भरा किन्तु मेरा नाम दर्ज नही किया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ

अतः निवेदन है कि मौजा देवरिया की आराजी नम्बर 1158 रकवा 0.3000 हैक्टयर आराजी नम्बर [illegible] रकबा 0.3000 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकवा 0.6 हैक्ट0 वादी के नाम दर्ज किये जाने की डिक्री [illegible] वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें। वादी को खातेदार घोपित किया जाकर खाते में [illegible]राज किया जावें व कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जावें। हर्जा खर्चा वकील मेहन्ताना दिलाया जावें। अन्य [illegible]द मुफिद वादी दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री आसिफ इकवाल का अधिकार पत्र पेश। विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 7 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 18.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 08.05.2025 को वकील प्रतिवादी द्वारा जवाव प्रस्तुत नही किये जाने से जवाव बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में वादी नारायणलाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। व दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जिसमें पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श–1, व उसकी छायाप्रति प्रदर्श–1A, हाल जमाबन्दी प्रदर्श–2 है। नामान्तरकरण प्रदर्श–3, मिलान शीट प्रदर्श–4, जमावन्दी संवंत् 2067–2070 प्रदर्श–5, नामान्तरण प्रदर्श–6, नामान्तरण प्रदर्श–7, नामान्तरण संख्या 826 प्रदर्श–8, नामान्तरण संख्या 707 प्रदर्श–9 है। साथ ही वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में कब्जे के क्रम में मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है जिस पर तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो शा0फा0 है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन किया। जिसमें बेचानकर्त्ता जीतमल, बद्री पिता हीरा जाति जाट, ने साविक आराजी संख्या 844 रकवा 2 वीघा 16 बिस्वा वादी नारायणलाल को बेचान किया है। संलग्न मिलान शीट प्रदर्श–4 का अवलोकन किया। आराजी संख्या 844 मीन रकवा 2 बीघा 16 विस्वा से नवीन आराजी संख्या 1158 रकवा 0.30 हैक्ट0 व आराजी संख्या 1159 रकवा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकवा 0.60 हैक्ट0 बने है। प्रदर्श–5 मौजा देवरिया की जमाबन्दी संवंत् 2067–70 का अवलोकन किया। जिसमें आराजी संख्या 1158, 1159 वद्री, जीतु, छगना पिता हीरा जाति जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त जमावन्दी में प्रदर्श 6 नामान्तरण संख्या 446 दिनांक 17.01.2013 से जीतु फौत होने से विरासत से पारसी, शान्ता, नोसर पिता जीतु के नाम 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड हुआ। प्रदर्श–7 नामान्तरण संख्या 824 दिनांक 28.06.2023 के अवलोकन से छगना पुत्र हीरा जाति जाट द्वारा अपना 1/3 हिस्सा अपने पुत्र रतनलाल को दान किये जाने से नामान्तरण दर्ज रेकार्ड हुआ। नामान्तरण संख्या 707 दिनांक 02.03.2020 प्रदर्श–9 के अवलोकन से शान्ता पुत्री जीतु ने अपना 1/9 हक हिस्सा सीमा देवी पत्नी रतनलाल 1/18 जाति जाट व ललीतादेवी पत्नी राधेश्याम 1/18 जाति जाट के नाम दर्ज किया। बद्री पुत्र हीरा 1/3 जाति जाट द्वारा अपना 134/435 हिस्सा राधेश्याम पुत्र वद्रीलाल जाति जाट को दान किया। जो कि प्रदर्श–8 ना0सं0 826 से स्पप्ट है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी नारायणलाल द्वारा साविक आराजी संख्या 844 मीन रकवा 2 वीघा 16 बिस्वा जीतमल व बद्री पिता हीरा जाति जाट से क्रय की गई है। उक्त खातेदारान का 2/3 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड था। उक्त आराजीयात के वर्तमान आराजी संख्या 1158 व 1159 वने है, जो मिलान शीट से सिद्ध होता है। उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात में प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी 2/3 हक हिस्से का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखता है। साथ ही वादी द्वारा साविक आ0सं0 844 रकवा 2 विघा 16 विस्वा क्रय की थी जिसके हाल आ0सं0 1158, 1159 बने है उक्त के क्रम में किस हिस्से पर कितना कब्जा है के क्रम में संलग्न मौका रिपोर्ट में अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का आ0सं0 1158 पर पूर्ण कब्जा है तथा शेप कब्जा आ0सं0 1159 पर प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादी अपना वादपत्र आंशिक रूप से सिद्ध कराने में सफल रहा। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा देवरिया पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बेरुनी मे वर्तमान जमाबन्दी दर्ज आ0सं0 1158 रकबा 0.30 हैक्ट0 व आराजी संख्या 1159 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकवा 0.60 हैक्ट0 में आ0सं0 1158 रकबा 0.30 हैक्ट0 में वादी नारायणलाल पिता भैरूलाल जाति जाट सा0देह व आ0सं0 1159 रकबा 0.30 हैक्ट0 में वादी नारायणलाल पिता भैरूलाल जाति जाट 1/3 सा0देह व रतनलाल पिता छगनलाल जाति जाट 2/3 सा0देह नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(राजेश कुमार [illegible])
[illegible]
उपखण्ड अधिकारी कपासन